राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 241/2025

उनवान

1.वरीद पुत्र सकुर जाति मुसलमान निवासी रामदियों की बसती देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर।	बनाम	1.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

राजस्व आवेदन संख्या 241/2025 **आदेश** **दिनांक** 17.04.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वरीद पुत्र सकुर जाति मुसलमान निवासी रामदियों की बस्ती देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर का खातेदारी खेत मौजा काछबाणीयों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर के खसरा संख्या 649/219, रकबा 1.9101, हैक्टेयर, एंव मौजा रामदियों की बस्ती प.म. देरासर के खसरा नंबर 396/101 रकबा 1.1331 हैक्टेयर स्थित हैं। जिसमें सयुंक्त खातेदारी में प्राथी का नाम वरीद पुत्र सकुर जाति मुसलमान निवासी रामदियों की बस्ती देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर **की जगह वाईद पुत्र सकूर** जाति मुसलमान सा. रामदियों की बस्ती में नामान्तरण दर्ज करते समय खातेदार वाईद पुत्र सकूर गलत दर्ज हो गया। जिससे राजस्व रेकर्ड एंव राज्य सरकार एंव भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र ,आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, बैंक की पास बुक राशन कार्ड जन आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम वरीद पुत्र सकुर अंकित है जो सही हैं राजस्व रेकर्ड एंव सरकार द्वारा जारी विविध प्रमाण पत्रों में नाम अलग नाम की भिन्नता होनें से प्रार्थी को राज सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का कोई परिलाभ नही मिल पा रहा हैं। राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी एंव राज्य सरकार द्वारा दस्तावेज में सही नाम दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम वरीद पुत्र सकुर जाति मुसलमान निवासी रामदियों की बस्ती देरासर तहसील रामसर जिला बाडमेर करवानें का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जरिये प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा अन्तर्गत धारा 131 ,136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक **09.09.2025** को इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवदेन पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी तहसीलदार रामसर को इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2025/2349 दिनांक 15.10. 2025 के द्वारा मौका रिर्पोट चाही गई जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक कोर्ट/राजस्व/मौका रिर्पोट/2025/3037 दिंनाक 24.12.2025 को प्रेषित रिर्पोट इस न्यायालय को दिनांक 26.12.2025 को प्राप्त हुई। प्रस्तुत रिर्पोट में बताया हैं कि मौजा काछबाणीयों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर के खसरा संख्या 649/219, रकबा 1.9101, हैक्टेयर, एंव मौजा रामदियों की बस्ती प.म. देरासर के खसरा नंबर 396/101 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वाईद पुत्र सकुर दर्ज हैं जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड , राशन कार्ड ,मतदाता पहचान पत्र ,जन्म प्रमाण पत्र आदि में नाम वरीद पुत्र सकुर हैं वाईद पुत्र सकुर व वरीद पुत्र सकुर एक ही व्यक्ति है। उक्त नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे जानें पर वाईद पुत्र सकुर के स्थान पर **वरीद पुत्र सकुर** नाम किये जानें की अनुशंषा सहित रिर्पोट की गई हैं पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार की मौका रिर्पोट के साथ सलंग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया एंव उभय पक्षों की बहस सुनी गई । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी खेत मौजा काछबाणीयों की बस्ती पटवार मण्डल देरासर तहसील रामसर के खसरा संख्या 649/219, रकबा 1.9101, हैक्टेयर, एंव मौजा रामदियों की बस्ती प.म. देरासर के खसरा नंबर 396/101 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम वाईद पुत्र सकुर के स्थान पर **वरीद पुत्र सकुर** जाति मुसलमान निवासी रामदियों की बस्ती देरासर नाम दुरूस्ती करनें के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार रामसर को निर्देषित किया जाता हैं कि न्यायालय के आदेशानुसार नाम दुरस्त किया जाना सुनश्चित करे ।

आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में आदेश जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:24:36 IST
Reason: SelfAttested

17/04/2026

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner